न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 309/2011

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जमकूदेवी पत्नि हजारीराम
जाति-बावरी, निवासी-मोहराई
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. हड़मान उर्फ रूघनाथ पुत्र आईदान
जाति-बावरी,निवासी-मोहराई
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.21.12.2011

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. नायब तहसीलदार, जैतारण सरकारी उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बेड़ा खुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बर 335 रकबा 3-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 3-10 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 6-10 बीघा की आई हुई हैं। दस्तावेजात क्रमशः जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032, 2033 से 2036 की संलग्न पेश की हैं। वादीया के पति हजारीराम का स्वर्गवास होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने हजारी के विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जांच नहीं की एवं वादीया जो कि हजारी की विवाहिता पत्नि हैं, के जिवित रहते हुये ही बिना उत्तराधिकारियों की जांच किये ही, हल्का पटवारी ने रूघनाथ पुत्र हजारी के नाम का म्यूटेशन संख्या 258 भरकर ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा लिया। जबकि उक्त रूघनाथ वादीया व हजारी का पुत्र नहीं था। हजारी के कोई जायन्दा पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ था। हजारी की एक मात्र विधिक उत्तराधिकारिणी वादीया ही हैं। म्यूटेशन संख्या 258 गलत भरा गया हैं, जो काबिल खारिज के हैं। तत्पश्चात् इसी म्यूटेशन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में रूघनाथ के नाम की प्रविष्टि हो गई थी, जिसके सम्बन्ध में जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 की इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। तत्पश्चात् उक्त प्रतिवादीगण संख्या 02 ने हल्का पटवारी से मिलकर दिनांक 26/09/1989 को एक शुद्धि-पत्र अपने नाम का भरवा लिया था। उक्त हड़मान उर्फ रूघनाथ एक ही व्यक्ति हैं तथा इसी शुद्धि-पत्र के आधार पर चौशाला जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 में भी इस नाम की प्रविष्टि हो गई थी। लेकिन कालान्तर में दुबारा हड़मान पुत्र हजारी की बजाय पूर्ववत प्रविष्टि रूघनाथ पुत्र हजारी की प्रविष्टि यथावत रही थी। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 व चालू जमाबन्दी में भी यथावत चल रहा हैं। वादीया हजारी की वैध विवाहिता पत्नि हैं। हजारी के नाम की जारी पासबुक, वादीया का परिचय पत्र, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदि सभी दस्तावेजात वाद पत्र के साथ पेश किये हैं। जिससे साबित हैं कि एक मात्र वादीया ही हजारी की एक मात्र विधिक उत्तराधिकारीणी हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 रूघनाथ उर्फ हड़मान पुत्र हजारी के स्थान पर वादीया स्वयं को बतौर हजारी के उत्तराधिकारी के रूप में खातेदार घोषित करवाने की अधिकारीणी हैं। उक्त गलत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

म्यूटेशन प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधीनस्थ हल्का पटवारी द्वारा किया गया हैं। इसलिये उन्हें भी वाद पक्षकार बनाया गया हैं। विवादित भूमि वादीया की हक हिस्से की खातेदारी भूमि हैं। जिस पर एक मात्र वादीया का ही हक हिस्सा व अधिकार हैं। वर्तमान में कृषि भूमियों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 02 की नियत खराब हो गई। वह वादीया को इस आराजी से बेदखल कर जबरदस्ती उक्त भूमि को अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा हैं तथा दिनांक 08/12/2011 को प्रतिवादीगण संख्या 02 ने वादीया को उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर उक्त आराजी को अन्य हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी दी। यदि विधिक प्रावधानों परे जाकर प्रतिवादीगण संख्या 02 ने वादीया को इस भूमि से बेदखल कर दिया तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादीया अपने विधिक हक व अधिकारों से व इस भूमि से वंचित हो जायेगी। वादीया प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगी। जिससे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण संख्या 01 तहसीलदार जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 08/12/2011 को प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा वादीया को उसके हक हिस्से व खातेदारी भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की व उक्त आराजी को अन्य हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-मोहराई, तहसील-जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित आए, जिन्होंने दिनांक 23/04/2012 को जबाबदावा पेश किया, सा0मि0 हो। प्रति0 2 का बावजूद तामील/सूचना अनुपस्थित रहने से दि0 16/4/12 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय [illegible]थ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2029-32, 2033-36, 2037-40, 2046-49, 2050-53, 2066-69, शुद्धि-पत्र दिनांक 26/09/89, विरासत ना0सं0 258 पी035 सं0 214 दिनांक 30/11/11, पासबुक दिनांक 16/11/73, परिवार कार्ड सं0 1078 दिनांक 06/01/07, RJ/159/325080, पासबुक MTL No. 761 (एमजीबी) की छाया प्रतियाँ आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादिया सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हजारी फौत हो चुका हैं तथा उनकी विधिक वारिसान चूँकि कोई उनके जायन्दा सन्तान नहीं हुई किन्तु ना0सं0 258 गलत तरीके से बतौर वारिसान स्वीकृत किया जाकर रूघनाथ का नाम दर्ज किया गया तथा तत्पश्चात् जरिए शुद्धि-पत्र दिनांक 26/09/89 स्वीकृत किया जाकर नवीन इन्द्राज हड़मान पुत्र हजारी का दुरूस्त कर दिया, जो अवैधानिक हैं। जिससे प्रति0 संख्या 2 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज होने से ना0सं0 258 तथा शुद्धि-पत्र संख्या 1 दिनांक 26/09/1989 को काबिल खारिज हो जाने से खारिज किया जाना तथा प्रति0 संख्या 2 का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना एवं वादिया उक्त भूमि की चूँकि हजारी की धर्मपत्नि होने के तथ्य दस्तावेजात से संपुष्ट होते हैं, लिहाजा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा की ईश्तदुआ स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होने से अस्वीकार किया जाना भी उचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–::आदेश::–

अतः वकील मय वादिया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ा खुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में खसरा नम्बर 335 रकबा 3–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 3–10 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 6–10 बीघा बा0दो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रति0 सं0 2 का गलत रूप से दर्ज नाम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता हैं। ना0सं0 258 तथा शुद्धि–पत्र दिनांक 26/09/1989 काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। वादिया को खसरा नम्बर 335 व 338 रकबा 6–10 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 14.03.2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें हकदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

इजलास अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम :- जैतारण

बहेजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. जमकूदेवी पत्नि हजारीराम जाति-बावरी, निवासी-मोहराई तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली 2. हडमान उर्फ रूपनाथ पुत्र आईदान जाति-बावरी,निवासी-मोहराई तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 /रा0वा0 स0/ 309/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व नायब तहसीलदार, जैतारण सरकारी उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दियां जाता है कि वकील मय वादिया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निम्बेड़ा खुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बर 335 रकबा 3-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 3-10 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 6-10 बीघा बा0दो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रति0 सं0 2 का गलत रूप से दर्ज नाम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता हैं। ना0सं0 258 तथा शुद्धि-पत्र दिनांक 26/09/1989 काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। वादिया को खसरा नम्बर 335 व 338 रकबा 6-10 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	4=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजान:-	9=00	मिजान:-	—Nil—

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)